पीथमपुर मध्यप्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन

नवभारत न्यूज़

इंदौर/पीथमपुर/धार, 8 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को पीथमपुर स्थित लिउगोंग इंडिया के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया. कंपनी ने अपनी मौजूदा इकाई के विस्तार पर 272 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया है.

इस विस्तार से कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता ×,250 से बढ़कर 7,500 मशीनें हो जाएगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर मध्यप्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है और यहां %मेक इन इंडिया-मेक इन एमपी% का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है. प्रदेश सरकार ग्रीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रा'य सरकार निवेश और औद्योगिक विकास के सभी लक्ष्य तय समय में हासिल करेगी. डॉ. यादव ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है, जबकि वर्ष 2026 के पहले छह माह में 76,862 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं.

एमपी पर लगातार बढ़ रहा निवेशकों का भरोसा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह केवल अनाउंसमेंट करने वाली नहीं, धरातल पर डेवलपमेंट लाने वाली सरकार है. उन्होंने कहा कि पीथमपुर मध्यप्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का 'मैन्युफैक्चरिंग गेटवे' बन चुका है. एक माह के भीतर यहां दूसरी बड़ी वैश्विक कंपनी द्वारा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि निवेशकों का भरोसा मध्यप्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है.

> दुनिया की प्रमुख हैवी अर्थ मूवर्स निर्माता कंपनियों में शामिल लिउगोंग की नई इकाई से स्थानीय एमएसएमई और ऑटो कंपोनेंट उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी. कार्यक्रम में कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट ल्यो ग्योबिंग, कंट्री हेड वरुण विजयवर्गीय सहित जनप्रतिनिधि और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 13 जुलाइ से होगा शुरू

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, किसानों, पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रत्येक पशुपालक तक आसानी से पहुंचे, इस उद्देश्य से बुधवार को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी सभागार में किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की.

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की .साथ ही उनके सुझाव भी प्राप्त किए. बैठक में प्रमुख सचिव उमराव ने किसान संघ के पदाधिकारियों को प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने, प्रदेश को दूध की राजधानी बनाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पशुओं के नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण एवं सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में जानकारी देने के लिए प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के दो चरण पूरे हो गए है. तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा.

नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू

15 तक शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने के निर्देश

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 8 जुलाई. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हो चुकी है. ता दें लोक शिक्षण संचालनालय ने 2025-26 के तहत चयनित माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि नवनियुक्त शिक्षकों को 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच हर हाल में पदभार ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाए. जारी निर्देशों के अनुसार सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी की स्थिति में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होना होगा. वहां नियुक्ति आदेश में उल्लेखित सभी मूल दस्तावेजों का मिलान और सत्यापन किया जाएगा. इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आवश्यक छायाप्रतियां और जरूरी शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे. वहीं विभाग ने इस बार सुरक्षा और प्रामाणिकता के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके तहत अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से उनकी सही पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा.

> यदि किसी भी दस्तावेज में कोई संदेह या विसंगति पाई जाती है, तो पदभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा. इसके अलावा खेल, संगीत, गायन-वादन और नृत्य विषयों के शिक्षकों की डिग्रियों की जांच के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं की अंकसूची या प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे. प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़ और अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मुम्बई को यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण इनकी अंकसूचियों को सीधे तौर पर अमान्य किया गया है.

सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण ने शुरू की दंडवत यात्रा

मुरैना. जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जोहां हवेली निवासी एक युवक ने जोहां-श्यामपुर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर अन्न-जल त्यागते हुए सांसद कार्यालय तक दंडवत यात्रा शुरू की है. ग्रामीण नवनीत सिंह तोमर ने बुधवार को मुरैना जिला मुख्यालय स्थित सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के कार्यालय तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी दंडवत यात्रा शुरू की. उनका कहना है कि सड़क निर्माण की दिशा में ठोस पहल होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. नवनीत सिंह तोमर ने बताया कि जोहां-श्यामपुर मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में है. बरसात के दौरान सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है.

1 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा साइबर सुरक्षा का संदेश

विशेष संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस का 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर सुरक्षा जनजागरूकता अभियान बुधवार को संपन्न हो गया.

पुलिस का दावा है कि अभियान के दौरान एक करोड़ से अधिक नागरिकों तक प्रत्यक्ष रूप से साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया, जबकि डिजिटल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से छह करोड़ से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बनाई गई. भोपाल स्थित नरोनहा प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित समापन समारोह में पुलिस महानिदेशक

कैलाश मकवाणा ने कहा कि आने वाले वर्षों में साइबर अपराध कानून-व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल होंगे. ऐसे में जनजागरूकता ही नागरिकों की सबसे मजबूत सुरक्षा है. उन्होंने कहा कि 'सेफ क्लिक 1.0' की सफलता के बाद डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में कमी आई है.

कार्यालय नगरपरिषद् अजयगढ़

ULB Code-802147

क्र./स्व.भा.मि./2026/604 दिनांक/07/07/2026

सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रातलय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए है, जो दिनांक 01 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गए हैं और निकाय सीमा क्षेत्र अन्तर्गत नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू कर दिये गये हैं.

उक्त नियम के नियम क्र. 3 (झ/1) 6 एवं 10 में थोक कचरा उत्पादक (Bulk waste Generator (BWG) की श्रेणी के लिए वर्णित परिभाषा एवं प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है. जिसके अनुसार थोक कचरा उत्पादक की परिभाषा इस प्रकार है:-

भारी मात्रा के अपशिष्ट जनित, वो इकाइयां जो निम्नालिखित मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करते हों:-

(i) 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल (Floor Area(वाले भवन या

(ii) प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत या

(iii) प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित है.

उक्तानुसार निकाय सीमा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले मैरीज गार्डन, होटल/रेस्टोरेन्ट, धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, रहवासी संघ एवं अन्य संस्थान आदि जो कम से कम एक मानदंड को पूरा करते हैं तो वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 के अनुसार थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में माने जावेंगे. ऐसे थोक कचरा उत्पादकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 का पालन किया जाना अनिवार्य है.

थोक कचरा उत्पादक हेतु दिशा निर्देश:-

1, सभी थोक कचरा उत्पादकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार केन्द्रीकृत पोर्टल (Centralised Portal) पर पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है. 2. संस्थान में उत्पन्न गीले, सूखे एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को पृथक्कीकृत कर एकत्र करना. 3. एकत्र गीले कचरे का संस्थान में ही निष्पाद न करना. 4. पिट कम्पोस्टिंग, बायोगैस या ओ.डब्यू.सी. मशीन या अन्य माध्यमों से कचरे का निष्पादन करना. 5. प्रतिदिन उत्पन्न कचरे के नियमानुसार प्रबंधन हेतु केयरटेकर को नियुक्त करना. 6. निष्पादित गीले कचरे से उत्पन्न खाद का उपयोग करना. 7. संस्थान से निकलने वाले सूखे एवं अन्य अपशिष्ट को निकाया के अधिकारिक कचरा संग्राहक को सौंपना. 8. प्रतिदिन प्रसंस्कृत किये गये गीले अपशिष्ट एवं उत्पन्न खाद की लांगबुक का संधारण करना. 9. यदि संस्थान अपने परिसर में ही गीले कचरे के प्रसंस्करण करने में असमर्थ है, तो नियमानुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत संस्थान से गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु अनुबंध निष्पादन कर निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) Certificate) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें. 10. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्र. 6 एवं 10 में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है.

उपरोक्त दिशा निर्देसों का पालन करते हुए सभी थोक कचरा उत्पादक अपने परिसर में ही कचरे का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. यदि उल्लेखित संस्थान आदि उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं राशि रुपये 500/- (जैसा निकाया द्वारा निर्णय लिया जाए) प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् अजयगढ़
जिला पन्ना (म.प्र.)

पेज एक का शेष

बगलामुखी मंदिर के दान में घोटाला

मां बगलामुखी मंदिर पूरी तरह शासन के नियंत्रण में है और इसकी व्यवस्था संभालने के लिए स्थानीय एसडीएम प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं. लेकिन इस सरकारी समिति को दरकिनार कर गैर सरकारी निजी समिति द्वारा खुलेआम सोने-चांदी के आभूषण और दान की अवैध वसूली की जा रही थी. कलेक्टर ने बनाई जांच समिति: आगर कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा मां बगलामुखी मंदिर में गैर शासकीय समिति द्वारा अवैध वसूली के मामले में एक जांच समिति गठित की है. यह समिति सात दिन के अंदर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इस समिति में जिला पंचायत सीईओ, नलखेड़ा सीएमओ, जिला कोषालय अधिकारी को सदस्य बनाया गया है. जो गैर शासकीय समिति द्वारा की गई अवैध वसूली के मामले में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. किसने बनाई नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति: मां बगलामुखी मंदिर में नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति के नाम पर रजत सौंदर्यीकरण हेतु दान पत्र की अवैध वसूली की जा रही थी. यह पूरी तरह गैर सरकारी थी. आखिर इस समिति को बनाने वाला मास्टर माइंड कौन था. इस समिति का एकाउंट मप्र ग्रामीण बैंक नलखेड़ा में एकाउंट नंबर 01411102100000110 है.

कांग्रेस ने गेहूं, मंदिर और नर्मदा मुद्दे पर सरकार को घेरा

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. नर्मदा जल विवाद समझौते का उल्लेख करते हुए उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हितों से समझौता किया है. उनका कहना था कि जहां पहले राज्य हजारों करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा कर रहा था, वहीं अब 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति जताई गई है. उन्होंने मांग की कि सरकार इस समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक करे ताकि प्रदेश की जनता वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके. सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदती है और उसे सुरक्षित रूप से वेयरहाउस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों की होती है. इस बार उपार्जन केंद्रों के रिकॉर्ड और वेयरहाउस में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक के बीच बड़ा अंतर सामने आने के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

नर्मदा जल समझौता : श्वेत पत्र करे जारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने बुधवार को नर्मदा नदी से जुड़े जल अधिकारों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर मध्य प्रदेश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए नर्मदा जल बंटवारे, परियोजनाओं और मुआवजे से जुड़े सभी निर्णयों पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.

पत्रकार वार्ता में कुणाल चौधरी ने कहा कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने मध्य प्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया था, लेकिन भाजपा सरकार दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य के हिस्से का पूरा उपयोग नहीं कर सकी है. उनका दावा था कि वर्तमान में केवल लगभग 12 एमएएफ पानी का ही उपयोग हो रहा है, जबकि कई प्रमुख सिंचाई और जल भंडारण परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं या बंद कर दी गई हैं. उन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई अंतरराज्यीय बैठक पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सरकारी भूमि के डूब क्षेत्र के एवज में मिलने वाले 7,669 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा छोड़ दिया.

नाम सुधार सूचना

मै पंकज कुमार दाहिया पिता श्री किशन लाल दाहिया उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट देवमऊ दलदल तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म. प्र. का निवासी होकर बहलफ सूचित कर रहा हूँ की मेरे स्कूल प्रवेश के समय मेरे स्कॉलर पंजी में मेरा नाम पंकज कुमार दहायत पिता का नाम किशन लाल व माता का नाम ममता दर्ज हो गया है जोकि गलत है जबकि सही नाम पंकज कुमार दाहिया पिता का नाम किशन लाल दाहिया व माता का नाम ममता दाहिया है जो मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है अत: मेरे स्कॉलर पंजी में दर्ज नाम पंकज कुमार दहायत पिता श्री किशन लाल और माता ममता के स्थान पर सही नाम पंकज कुमार दाहिया पिता श्री किशन लाल दाहिया माता का नाम ममता दाहिया दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है मेरा जाति प्रमाण पत्र पंकज कुमार दाहिया के नाम से बना हुआ है।

इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटीए सिंगरौली

केन्द्रीय कार्यालय, डीडीआरसी भवन, बिलौंजी, बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

दिनांक.08.07.2026

अभ्यर्थियों हेतुभर्तीविज्ञप्ति

क्र.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यताएं	रिक्त पदों की संख्या	निर्धारित मानदेय (प्रतिमाह)
1.	सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट (1)अनिवार्य योग्यता. BPT ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (1)अनिवार्ययोग्यता- BOT	01	20,500/-

विशेष(1) उम्मेदवार आवेदन पत्र का प्रारूप (Bio Data Form) इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी सिंगरौली की वेबसाइट https://indianredcrosssingrauli.org से डाउनलोड कर सकते है अथवा उपरोक्त लिखे हुए कार्यालय पता से फॉर्म का हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते है.

(2) बायो डाटा फॉर्म के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करके ई.मेल. resumeircs singrauli@gmail.com पर भेजे एवं सभी दस्तावेज की हार्ड कॉपी उपरोक्त कार्यालय पता पर अवश्य रूप से अंतिम दिनांक 23 जुलाई 2026 को सायं 06.00 बजे भेजे.

सचिव

फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से सावधान रहें

भोपाल, 8 जुलाई. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से सतर्क रहने की अपील की है. मंडल के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी का प्रयास कर रहे हैं. मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में जारी चेतावनी में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रेलवे में सभी भर्तियां केवल रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) के माध्यम से निर्धारित नियमों एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाती हैं. रेलवे में बिना परीक्षा भर्ती, डायरेक्ट जॉइनिंग या निजी एजेंसियों के माध्यम से चयन की कोई व्यवस्था नहीं है. रेल प्रशासन ने कहा कि 'तुरंत नियुक्ति', 'निश्चित चयन' अथवा 'सीमित योग्यता पर सरकारी नौकरी' जैसे दावे पूरी तरह भ्रामक हैं. युवाओं से भर्ती संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त करने तथा नौकरी दिलाने के नाम पर किसी को धनराशि न देने का आग्रह किया गया है.

नाम सुधार सूचना

मैं ASHISH PRATAP SINGH VISHEN पिता BANSBAHADUR SINGH वर्तमान निवासी VILLAGE KARHI POST KRISHNAGARH, रामपुर बघेलान जिला सतना मध्य प्रदेश शपथ पूर्वक सार्वजनिक रुप से घोषणा करता हूं कि मेरा सही नाम ASHISH PRATAP SINGH VISHEN पिता BANSBAHADUR SINGH जो सत्य है। अब मुझे ASHISH PRATAP SINGH VISHEN पिता BANSBAHADUR SINGH के नाम से जाना, बोला और लिखा जाय।

नाम सुधार सूचना

मैं स्वाती शुक्ला उम्र 25 वर्ष पुत्री श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी पति श्री पवन कुमार शुक्ला निवासी ग्राम शाहपुर पो.हिनौता वार्ड नं. 02 तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र. का/की निवासी होकर शपथपूर्वक कथन करती हू कि मेरे द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में पालिसी नंबर 375289903 ली गयी थी जिस पर मेरा नाम संजू द्विवेदी पिता श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी दर्ज हो गया है जबकि मेरे बैंक खाते आधार कार्ड आदि में मेरा नाम स्वाती शुक्ला दर्ज है. जबकि संजू द्विवेदी एवं स्वाती शुक्ला दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति शपथकर्ता के हैं यदि नाम से संबंधित भविष्य में कोई आपत्ति आती है तो समस्त जबावदारी मेरी होगी.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक/267/प्रवा अपर कले./26

सतना दिनांक 06.07.2026

//सार्वजनिक सूचना//

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

-----00-----

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमर सिंह तनय श्री गुलाब सिंह (अविवाहित), उम्र 22 वर्ष (02.06.2004), व्यवसाय मजदूरी स्थायी निवासी ग्राम सतरी पोस्ट गाड़ा थाना कोलगवां, तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र. आवेदिका ज्योति सिंह पुत्री श्री राम सुरेन्द्र सिंह (अविवाहित) उम्र 20 (11.09.2006) व्यवसाय, गृहणी स्थायी निवासी वार्ड नं. 16 गांधी टोला बिहटा थाना एवं तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र. के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अन्तर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 01.07.2026 को प्रस्तुत किया गया है.

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 10.08.2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 06.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (जिला शिक्षा केन्द्र) जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्र/1196/जि.शि.के./ वित्त/2026 सिंगरौली, दिनांक:- 06/07/2026

//निविदा आमंत्रण सूचना//

जिला शिक्षा केंद्र सिंगरौली अंतर्गत तीनो विकासखण्ड के परीक्षा मूल्यांकन केन्द्रों में परीक्षा उपरांत परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात वरिष्ट कार्यालय के निर्देशानुसार 06 माह के संधारण अवधि के बाद जिला परीक्षा समिति के अनुमत्ति उपरांत सत्र 2022-23, 2023-24 एवं सत्र 2024-25 के सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिकाओं का प्रथम पेज विनिर्दिष्ट करते हुये शेष तीनो सत्रो की समस्त उत्तर पुस्तिका को निविदा के माध्यम से नीलामी/विक्रय की कार्यवाही की जानी है। इच्छुक एजेंसियो/फर्मों से दिनांक 22.07.2026 अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है, निविदायें उसी दिनांक को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकर्ता फर्म की न्यूनतम एक लाख तक का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। साथ ही निविदा के साथ धरोहर राशि रु 20000/- का डिमांड ड्राफ्ट (जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र सिंगरौली के नाम देय) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। धरोहर के बिना प्रस्तुत निविदाएँ स्वीकार नहीं की आवेगी। कोई भी या समस्त निविदाएँ बिना कारण बतायें अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक जिला शिक्षा केंद्र सिंगरौली को रहेगा विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा केंद्र सिंगरौली से कार्यालयीन समय से प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, सिंगरौली

क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भकुआर, नौगढ़, जिला-सिंगरौली 486887 (म.प्र.)

E-mail: romppcb.sgri@gmail.com

लोक सुनवाई के संबंध में आम सूचना

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनव मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव आंकलन ईआईए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.9.2006 एवं यथा संशोधित 01.12.2009 के प्रावधाननुसार लोक सुनवाई किया जाना आवश्यक है. मेसर्स राहुल कन्स्ट्रक्शन पार्टनर श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निधार्रण प्राधिकरण भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में लोक सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स राहुल कन्ट्रक्शन पार्टनर श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा ग्राम करामी, तहसील माड़ा जिला सिंगरौली मप्र. के खसरा क्रमांक 141/668/1/141/668/2 141/668/3, उत्खनन क्षमता 15.385 घनमीटर/प्रति वर्ष लीज क्षेत्र 1.540 हे. में प्रस्तावित स्टोन क्वारी की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आयोजित की जा रही है.

उक्त प्रस्तावित स्टोन क्वारी के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 12.08.2026 दिन बुधवार को समय अपरान्ह 1.200 बजे से समाप्ति तक, स्थान ग्राम पंचायत भवन, ग्राम करामी, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) में आयोजित की जा रही है, जिसमें इच्छुक व्यक्ति/नागरिकगण सम्मिलित होकर उक्त स्टोन क्वारी के संबंध में अपने मत/सुझाव/विचार/टीका टिप्पणी एवं आपत्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं.

उक्त स्टोन क्वारी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए. रिपोर्ट) एवं कार्यपालक सारांश हिन्दी एवं अंग्रेजी में जन सामान्य के अलोकनार्थ कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली, जिला पंचायत कार्यालय सिंगरौली, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र सिंगरौली, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली, ग्राम पंचायत भवन ग्राम करामी तहसील माड़ा जिला सिंगरौली क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली एवं सदस्य सचिव मप्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय भोपाल तथा क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन ई-5 अरेरा कालोनी रविशंकर नगर, भोपाल में उपलब्ध रहेंगे. साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की अधिकृत वेबसाईट पर भी अवलोकित किये जा सकते हैं. अत: जिस किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त मेसर्स मेसर्स राहुल कन्स्ट्रक्शन पार्टनर श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तावित स्टोन क्वारी के संबंध में पर्यावरण प्रभाव एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधित सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति, मत, अभिमत प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालयत, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली के भकुआर नौगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भी लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं.

ëआओ हम सब राष्ट्र के विकास से अब नाता जोड़े
सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णत: छोड़ेंíí

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश

E-mail-civil.ctd@mp.gov.in

क्र./निर्माण/2026-27/12171 भोपाल,दिनांक 01.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

जनजातीय कार्य विभाग की ओर से आनलाइन निविदा प्रतिशत दर पर लोक निर्माण में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन निर्माण विद्युतीकरण सहित लोक निर्माण विभाग (भवन) म.प्र. भोपाल द्वारा जारी दिनांक 01 जनवरी 2024 से प्रभावशील तथा रोड एवं ब्रिज निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के प्रचलित एसओआर. 11 अप्रैल 2025 से प्रभावशील पर (निविदा) दिनांक तथा संशोधन सहित निम्नांकित कार्यों हेतु आनलाइन निविदा निम्न विवरण अनुसार आमंत्रित की जाती है. कार्यों का विवरण निम्नानुसार है.

क्र.	सिस्टम टेण्डर नम्बर	जिला	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित लागत (राशि लाख में)	अमानत राशि (रु.में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. में	निविदा/ कार्य पूर्णता अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2026_TAD-518762_1	शहडोल	शासकीय हाई स्कूल नारंगी वि.ख. सोहागपुर का नवीन भवन निर्माण मय विद्युतीकरण सहित	299.90	299900/-	15000/-	18 माहं वर्षा ऋतु सहित	लो.नि.वि. में नवीन केन्द्रीयकृत पद्धति में सिविल कार्यहेतु जीवित पंजीयन
2	2026_TAD-518764_1	शहडोल	शासकीय हाई स्कूल बरतरा वि.ख. सोहागपुर का नवीन भवन निर्माण मय विद्युतीकरण सहित	299.90	299900/-	15000/-	18 माहं वर्षा ऋतु सहित	लो.नि.वि. में नवीन केन्द्रीयकृत पद्धति में सिविल कार्यहेतु जीवित पंजीयन
3	2026_TAD-518765_1	शहडोल	शासकीय हाई स्कूल करकटी वि.ख. सोहागपुर का नवीन भवन निर्माण मय विद्युतीकरण सहित	299.90	299900/-	15000/-	18 माहं वर्षा ऋतु सहित	लो.नि.वि. में नवीन केन्द्रीयकृत पद्धति में सिविल कार्यहेतु जीवित पंजीयन
4	2026_TAD-518767_1	शहडोल	शासकीय हाई स्कूल खोह वि.ख. सोहागपुर का नवीन भवन निर्माण मय विद्युतीकरण सहित	299.90	299900/-	15000/-	18 माहं वर्षा ऋतु सहित	ल